भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2511
दिनांक 10 अगस्त 2026

राजसहायता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अन्यत्र उपयोग

2511 **श्री शुभाशीष खुंटिया:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजसहायता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अन्यत्र उपयोग, अनधिकृत व्यावसायिक प्रयोग या अवैध जमाखोरी के मामलों का आकलन किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी गतिविधियों के कारण ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए घरेलू एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण, प्रवर्तन कार्रवाई या अभियोजन की कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) देश में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों से जुड़ी हुई हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें एलपीजी विपणन कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं, जबकि सरकार घरेलू एलपीजी की उपभोक्ता को मिलने वाली प्रभावी कीमत को नियंत्रित करती रहती है। इस मूल्य अंतर के कारण, बेईमान तत्वों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जब भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, संबंधित ओएमसीज़ द्वारा उनकी जांच की जाती है। सभी स्थापित मामलों में, प्रचलित विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी)/वितरक समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, ओएमसीज़ एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वितरकों पर जुर्माना लगाती हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ओएमसीज़ द्वारा अपने एलपीजी वितरण केंद्रों पर किए गए निरीक्षणों की संख्या और उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया था, का विवरण निम्नलिखित है:

निरीक्षण/दंड का विवरण	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल**
एलपीजी वितरण केंद्रों पर किए गए निरीक्षणों की संख्या	1,04,368	1,00,176	98,031	3,02,575
उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	4,883	7,667	7,030	19,580

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

एलपीजी की हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं की संभावना को समाप्त करने और देश भर में एलपीजी वितरण के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार/ओएमसीज़ द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

- एलपीजी के वितरण को विनियमित करने के लिए "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" की अधिसूचना।
- ओएमसीज़ द्वारा एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) अधिसूचना, जिनका वितरकों को पालन करना अनिवार्य है। एलपीजी विपणन के सभी पहलुओं को शामिल करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वितरकों पर नियंत्रण रखने के लिए एमडीजी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- सभी नए कनेक्शन/एक से अधिक कनेक्शन/स्थानांतरित/निष्क्रिय ग्राहकों के लिए केवाईसी पहल ताकि उचित पहचान और पते के प्रमाण वाले ग्राहकों को वितरकों के पास नामांकित किया जा सके।
- देश भर में सभी नियमित वितरकों के यहां आईवीआरएस/एसएमएस रिफिल बुकिंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत ग्राहकों को रिफिल बुकिंग/कैश मेमो जनरेशन पर एसएमएस प्राप्त होता है।
- ओएमसीज़ द्वारा ई-चालान की शुरुआत ताकि ग्राहक सटीक देय मूल्य देख सकें।
- उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना।
- उपभोक्ताओं के लिए अपनी पूछताछ दर्ज कराने हेतु एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800 2333 555) उपलब्ध है, जिसमें राजसहायता संबंधी मुद्दे शामिल हैं एवं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए शॉर्ट कोड 14438 हेल्पलाइन।
- घरेलू और गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंगों की शुरुआत की गई है ताकि अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग की आसानी से पहचान की जा सके।
- देश भर में राजसहायता के पारदर्शी और प्रभावी वितरण के लिए जनवरी 2015 से प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ (एलपीजी) योजना (डीबीटीएल-पहल) लागू की गई है। पहल योजना के तहत, सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक समान खुदरा विक्रय मूल्य (आरएसपी) पर बेचे जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
- ग्राहक के मौजूदा वितरक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं होने पर उसे पोर्टेबिलिटी योजना के तहत उसी क्षेत्र में कार्यरत किसी अन्य वितरक को चुनने की सुविधा।

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) अधिकृत वितरकों के माध्यम से निर्बाध एलपीजी आपूर्ति बनाए रख रही हैं, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी कर रही हैं और कालाबाजारी, जमाखोरी और हेराफेरी को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं। निगरानी को मजबूत करने के लिए, ओएमसीज़ ने राज्य सरकार के समन्वय से एलपीजी वितरकों के अचानक निरीक्षण करने के लिए अंतर-कार्यात्मक टीमें तैनात की हैं। परिणामस्वरूप, 01.03.2026 से 15.06.2026 की अवधि के दौरान, देश भर में लगभग 1,330 एफआईआर दर्ज की गईं, 311 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 75,960 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए।

इसके अलावा, डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) तंत्र को और मजबूत किया गया है, जिसके तहत ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक विशिष्ट ओटीपी भेजा जाता है और इस कोड के सत्यापन के बाद ही डिलीवरी पूरी की जाती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सिलेंडर वास्तविक ग्राहकों तक ही पहुंचें, जिससे घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की हेराफेरी की संभावना कम से कम हो जाती है।
